

रक्षोपाय महानिदेशक  
सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद कर  
द्वितीय तल, भाई वीर सिंह साहित्य सदन,  
भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001  
टेलीफैक्स : 23741542, 23741537  
ई-मेल : dgsafeguards@nic.in

## रक्षोपाय जांच की शुरूआत का नोटिस

[सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन)  
नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत]

नई दिल्ली, दिनांक : 07 सितम्बर, 2015

फाइल संख्या डी-22011/26/2015/पार्ट-1

**विषय :** "600 एमएम" या उससे अधिक की चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के कॉइल्स में हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों" का भारत में आयातों के संबंध में रक्षोपाय जांच की शुरूआत

जी.एस.आर. .... सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं उसका आकलन) नियम, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष दिनांक 27 जुलाई, 2015 को एक आवेदनपत्र मैसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड; मैसर्स एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने मैसर्स लक्ष्मी कुमारन एंड श्रीधरन अटार्नीज की मार्फत एक आवेदनपत्र "600 एमएम" या उससे अधिक की चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के कॉइल्स में हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों" जिसे एतदपश्चात पीयूसी (विचाराधीन उत्पाद) कहा गया है, का भारत में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए प्राप्त हुआ है जिससे कि भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों द्वारा कारित गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती से इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की रक्षा की जा सके।

**2. घरेलू उद्योग :** आवेदनकर्ताओं अर्थात मैसर्स भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड; मैसर्स एस्सर स्टील इंडिया लिमिटेड और मैसर्स जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने दावा किया है कि उनका कुल मिलाकर उत्पादन भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक बैठता है और यह देश में इस विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादन के एक बड़े अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए वर्तमान आवेदन दायर करने का उनका आधार बनता है।

**3. अंतर्ग्रस्त उत्पाद :** विचाराधीन उत्पाद "600 एमएम" या उससे अधिक की चौड़ाई के नॉन-अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के कॉइल्स में हाट-रोल्ड फ्लैट उत्पादों" है, जिन्हें सीमाशुल्क

प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 72 के अंतर्गत प्रशुल्क शीर्षक संख्या 7208 और प्रशुल्क मद संख्या 72253090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आवेदकों ने यह दावा किया है कि इन उत्पादों को और अधिक हाट रोलड नहीं किया जाता है और यह "ऐज रोलड" एज अथवा "ट्रिम्ड" एज अथवा "स्लिट" एज युक्त आरंभिक अथवा अनारंभिक स्थिति में लोहा, अलॉय अथवा नॉन-अलॉय स्टील के फ्लैट उत्पाद हैं। यह उत्पाद (स्किन पास अथवा टेम्परिंग सहित अथवा उसके बिना) पिकेल्ड अथवा नॉन-पिकेल्ड के रूप में हो सकते हैं और उनकी 600 एमएम के बराबर अथवा उससे अधिक की नाममात्र की चौड़ाई होती है। इन उत्पादों में रोलिंग से सीधे व्युत्पन्न रिलीफ में प्रतिकृतियां हो सकती हैं। इन उत्पादों की पिकलिंग, आयलिंग, रिवाइडिंग, टेम्पर रोलिंग, हीट ट्रीटमेंट आदि जैसे विभिन्न प्रसंसाधन प्रक्रिया हो सकती हैं।

इस विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया जाता है :

- (क) 600 एमएम से कम की मामूली सी चौड़ाई युक्त इस्पात के हाट रोलड फ्लैट उत्पाद;
- (ख) एपीआई ग्रेड स्टील;
- (ग) सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील;
- (घ) स्प्रिंग स्टील क्वालिटी के इस्पात के हाट रोलड फ्लैट उत्पाद;
- (ङ) इस्पात के ऐसे हाट रोलड फ्लैट उत्पाद जिनके ऊपर जस्ते की कोटिंग या इलेक्ट्रोलिटिकली प्लेटिंग की गई है;
- (च) जस्ता की अन्यथा कोटिंग अथवा प्लेटिंग किए हुए इस्पात के हॉट रोलड फ्लैट उत्पाद।
- (छ) स्टेनलेस स्टील के हाट रोलड फ्लैट उत्पाद।

**4. जांच की अवधि (पीओआई) :** आवेदकों ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 (पहली तिमाही) की अवधि के सभी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। चयन की गई जांच की अवधि वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 (ए) है जो बाजार परिस्थितियों पर विचार करने और रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की जरूरत का सुनिश्चयन करने के लिए पर्याप्त दीर्घ है।

**5. सूचना का स्रोत :** इस विचाराधीन उत्पाद के लिए वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही) के लिए सौदेवार आयात आंकड़ों को घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए के अनुसार आईबीआईएस से लिया गया है और विश्लेषण के लिए उन्हीं पर विचार किया गया है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 (पहली तिमाही) तक के घरेलू आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और उनका इस विभाग द्वारा केंद्रीय उत्पाद कर रिकार्डों तथा यूनिटों में अनुरक्षित रिकार्डों के आधार पर आवश्यक समझी गई सीमा तक स्थल सत्यापन कर लिया गया है।

**6. संवर्धित आयात (समग्र और संगत रूप से) :** इस विचाराधीन उत्पाद का भारत को मुख्यतः चीन जन.गण., कोरिया आरपी, जापान और रूस से आयात किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों ने इस अवधि के दौरान समग्र रूप से और संगत रूप से बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है जैसा कि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	प्रवृत्ति	संपूर्ण भारत का उत्पादन (एमटी)	उत्पादन के संबंध में आयात का
--------------	--------------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------

				प्रतिशत
2013-14	1292099	100	25510777	5
2014-15	2540114	197	26395795	10
2015-16 (पहली तिमाही)	844840		6646258	
2015-16(ए)	3379360	262	26585032	13

7. **गंभीर क्षति** : आवेदकों ने यह दावा किया है कि इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों से इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति कारित हुई है और गंभीर क्षति कारित होने की चुनौती उत्पन्न हो गई है जो निम्नलिखित कारकों से स्पष्ट होता है :

(क) **उत्पादन** : घरेलू उद्योग का उत्पादन समान स्तर पर बना रहा जैसाकि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	घरेलू उद्योग का उत्पादन (एमटी)	प्रवृत्ति
2013-14	17881187	100
2014-15	17836937	100
2015-16 (पहली तिमाही)	4456795	
2015-16 (ए)	17827180	100

(ख) : **घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा** : अत्यधिक अभिनव अवधि में उत्पादकों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। आवेदकों का वर्ष 2013-14 में बाजार हिस्सा 45 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2015-16 (ए) के दौरान 37 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान आयातों का बाजार हिस्सा 6 प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया जैसाकि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	कुल आयात (एमटी)	घरेलू उद्योग की बिक्री (एमटी)	अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री (एमटी)	घरेलू उद्योग की ग्राही बिक्री (एमटी)	अन्यों की ग्राही बिक्री (एमटी)	कुल मांग (एमटी)	बाजार हिस्सा (%)	
							घरेलू उद्योग	आयात
2013-14	1292099	10342565	2994323	4274000	4000724	22903711	45	6
2014-15	2540114	9949214	3298273	5019741	4615864	25423206	39	10
2015-16 (पहली तिमाही)	844840	2589929	1065972	1321497	1180681	7002919		
2015-16(ए)	3379360	10359716	4263888	5285988	4722724	28011676	37	12

(ग) : **उत्पादकता और रोजगार** : उत्पादकता और रोजगार की स्थिति संपूर्ण अवधि के दौरान समान ही बनी रही जैसाकि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	कर्मचारियों की संख्या (अनुक्रमित)	प्रति कर्मचारी उत्पादकता (एमटी) (अनुक्रमित)
2013-14	100	100
2014-15	100	100
2015-16(पहली तिमाही)	100	
2015-16(ए)	100	100

(घ) : **क्षमता उपयोग** : इस अवधि के दौरान, वर्ष 2013-14 से 2015-16 (ए) तक की अवधि के दौरान उपयोग समान बना रहा, जैसाकि अधोलिखित तालिका में स्पष्ट है :

वित्तीय वर्ष	संस्थापित क्षमता (एमटी)	क्षमता उपयोग (%)
2013-14	23568996	76
2014-15	23568996	76
2015-16 (पहली तिमाही)	5884372	
2015-16(ए)	23537488	76

(ड.) **लाभ/हानि** : घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वर्ष 2015-16 (पहली तिमाही) में तीव्र गिरावट आई और घरेलू उद्योग को घाटा होना शुरू हुआ जैसाकि अधोलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वित्तीय वर्ष	लाभप्रदता (रुपए/एमटी) (अनुक्रमित)
2013-14	100
2014-15	135
2015-16(पहली तिमाही)	(55)

(च) **मालसूची** : अधोलिखित तालिका में मालसूची स्तर का उल्लेख किया गया है जो वर्ष 2013-14 में 100 बिंदुओं से बढ़कर वर्ष 2015-16 (ए) में 103 बिंदुओं तक पहुंच गई।

वित्तीय वर्ष/तिमाही	मालसूची (एमटी)	मालसूची (एमटी) (अनुक्रमित)
2013-14	636879	100
2014-15	648290	102
2015-16(पहली तिमाही)	657099	103

8. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदनपत्र में रक्षोपाय शुल्क का चार वर्षों की अवधि के लिए तत्काल अधिरोपण करने का अनुरोध किया है। घरेलू उद्योग ने इस विचाराधीन उत्पाद के संवर्धित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के निष्पादन में प्रपाती गिरावट के मद्देनजर अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने का भी अनुरोध किया है।

9. इस आवेदनपत्र की जांच की गई है और यह पाया गया है कि इस "विचाराधीन उत्पाद" के संवर्धित आयातों ने इस विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को प्रथम दृष्टया गंभीर क्षति कारित की है अथवा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है और तदनुसार, इस नोटिस के जरिए एक जांच की शुरुआत करने का निश्चय किया गया है।

10. सभी हितबद्ध पक्षकार इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत करा सकते हैं :

महानिदेशक (रक्षोपाय)  
भाई वीर सिंह साहित्य सदन, द्वितीय तल,  
भाई वीर सिंह मार्ग,  
गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001, भारत  
टेलीफैक्स : 011-23741542/ 23741537  
ई-मेल: [dgsafeguards@nic.in](mailto:dgsafeguards@nic.in)

11. सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को अलग से भी सूचित किया जा रहा है।

12. इस जांच से संबंधित कोई अन्य पक्षकार, जो यह चाहता है कि उसे हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए, भी अपना अनुरोध इस तरह से भेज सकता है कि वह इस नोटिस की तारीख से 15 दिनों के अंदर उपर्युक्त पते पर महानिदेशक (रक्षोपाय) के पास पहुंच जाए।

13. सभी संगत सामग्री (अगोपनीय) युक्त एक सार्वजनिक फाइल उपर्युक्त पते पर महानिदेशक (रक्षोपाय) के कार्यालय में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(विनय छाबड़ा)  
महानिदेशक

-----